

प्रेस नोट दिनांक 18.10.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस ने गोवंश की तस्करी करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे चन्दौली के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 18.10.2024 को थाना चकिया पर पंजीकृत मु.अ.सं. 187/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रामआसरे यादव पुत्र भगवान निवासी टिसहवा थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. मुन्ना यादव पुत्र स्व0 श्यामू यादव निवासी ग्राम सदापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को मोकरम बंधी वहदग्राम सदापुर से सुबह समय 06.15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामआसरे यादव पुत्र भगवान निवासी टिसहवा थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मुन्ना यादव पुत्र स्व0 श्यामू यादव निवासी ग्राम सदापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त रामआसरे यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 187/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.स 71/2017 धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली

अभियुक्त मुन्ना यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 187/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.स 40/2020 धारा 3/5ए/8 गो.नि.अधि. व 11 पशुकूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 अनुज कुमार यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।
4. हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास मे वांछित 03 अभियुक्तगण किये गये गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे महोदय द्वारा वांछित /वारन्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 45/2024 धारा 109,118(1),61(2) बी0एन0एस0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.नन्दलाल पुत्र स्व0 छविनाथ राम 2.रमावती पत्नी नन्दलाल 3. चन्दा पुत्री नन्दलाल निवासीगण नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को दिनांक 18.10.2024 को समय 5.30 बजे मुखबिर की सूचना पर ग्राम नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ मे बताया गया कि लक्ष्मण पुत्र कमला निवासी बोझ थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली की शादी चन्दा पुत्री नन्दलाल निवासी नन्दना थाना रायपुर सोनभद्र से हुयी थी जो चन्दा को अबैध संबन्ध की आशंका को लेकर मारता पीटता प्रताडित करता था। जिसे मुख्य अभियुक्त विकास पुत्र संतलाल निवासी नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र की मदद से दिनांक 19.07.2024 को लक्ष्मण को जान से मारने की नियत से गले मे चाकू मार कर घायल कर दिया गया था।

घायल लक्ष्मण उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 45/2024 धारा 109,118(1),61(2) बी0एन0एस0 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली बनाम 1.नन्दलाल पुत्र स्व0 छविनाथ राम 2.रमावती पत्नी नन्दलाल 3. चन्दा पुत्री नन्दलाल 4. विकास पुत्र संतलाल निवासीगण नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गयी थी जिसमे विकास पुत्र संतलाल निवासी उपरोक्त पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है अन्य अभियुक्तगण लगभग तीन माह से फरार चल रहे थे।

नाम पता अभियुक्त व अभियुक्ता-

- 1.नन्दलाल पुत्र स्व0 छविनाथ राम निवासी नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 45 वर्ष
- 2.रमावती पत्नी नन्दलाल निवासी नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 42 वर्ष
- 3.चन्दा पुत्री नन्दलाल निवासी नन्दना थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

- 1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली
- 2.उ0नि0 संतोष कुमार थाना चकरघट्टा चन्दौली
- 3.का0 रमेश कुमार गौतम थाना चकरघट्टा चन्दौली
- 4.म0का0 राखी देवी थाना चकरघट्टा चन्दौली

थाना कन्दवा चन्दौली

◆थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन से 05 गोवंश किया गया बरामद

चन्दौली:- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक सदर, विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण मे थानाप्रभारी कन्दवा हरिनारायण पटेल की टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर अमड़ा तिराहा की तरफ से मैजिक वाहन UP61AT4425 में लादकर 05 गोवंशीय पशुओं को वध करने के उद्देश्य से परिवहन करते समय वाहन को घेराबन्दी कर रोका गया। पुलिस टीम को देखकर वाहन चालक अपने वाहन से उतरकर झाड़ियों में फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। मौके से बरामद वाहन मैजिक UP61AT4425 उपरोक्त का सत्यापन किया गया जिसमें वाहन स्वामी का नाम साधना देवी w/o राजेन्द्र विश्वकर्मा निवासी गरनी, गरनी गाजीपुर होना पाया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 49/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 49/2024 धारा धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम, थाना कन्दवा चन्दौली।

बरामदगी- 1.05 गोवंश पशु (04 जिंदा व 01 मृत) 2.01 मैजिक वाहन UP61AT4425

बरामदगी का स्थान व समय:-

अमड़ा तिराहा बहद ग्राम अमड़ा

दिनांक 18.10.2024

समय 13.05 बजे।

पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 रविकांत चौहान चौकी प्रभारी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 2.हे0का0 देवेन्द्र सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 3.का0 लक्ष्मण कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
- 4.का0 फरहान आलम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

◆थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति को अवैध 11.38 किलो गाँजा के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशानुसार, विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एवं राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 दुर्गेश यादव मय हमराह चेकिंग अभियान के दौरान 01 अभियुक्त को अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तारी किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 254/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 दुर्गेश यादव मय हमराह के साथ रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम, जुर्म जरायम में कस्बा चन्दौली से सकलडिहा तिराहे से शाहूजी के पोखरे की तरफ बढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति भूरे रंग के बैग हाथ में टांगे हुए पुलिस टीम को देखकर छिपने लगा एवं धीरे-धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। सन्देह के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति की पहचान दीपक खरवार पुत्र शिवजी खरवार निवासी चवरी थाना कोचस जनपद रोहतास विहार उम्र करीब 33 वर्ष के रूप में हुआ। छिपने व घबराने के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए हाथ में लिए बैग के अन्दर रखी समान के सम्बन्ध में जानकारी किया गया तो हाथ से झोला फेंककर भागना चाहा जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया भागने का कारण पूछते हुए बैग की तलाशी लिया गया तो बैग में गाँजे जैसे मादक पदार्थ बरामद हुआ। बैग से कुल 06 अलग-अलग बंडलो में गाँजा बरामद हुआ इलेक्ट्रॉनिक तराजू मगाकर तौल किया गया तो वजन क्रमशः 2.035,2.038,2.087,2.090,2.080, 1.050 कि0ग्रा0 होना पाया गया व कुल वजन 11.38 कि0ग्रा0 अवैध गाँजा बरामद कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ के दौरान बताया गया कि बिहार से बैग में गाँजा भरकर 3000/ रुपये किलो खरीदकर लाता हूँ और चन्दौली तथा वाराणसी में अलग-अलग जगहो पर पहुँचकर 15000/ कि0ग्रा0 बेचकर चला जाता हूँ आज भी मैं स्टेशन पर उतरकर स्टेशन के पीछे से रोड पर आकर टैम्पो पकड़कर सुबह-सुबह ही चहनिया जाने की फिराक में था।

नाम पता अभियुक्तगण- 1दीपक खरवार पुत्र शिवजी खरवार निवासी चवरी थाना कोचस जनपद रोहतास विहार उम्र करीब 33 वर्ष

अपराधिक विवरण- मु.अ.स. 254/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली । मु.अ.स. 268/2022 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी पं. दीनदयाल उपाध्याय जीआरपी अनुभाग प्रयागराज

विवरण बरामदगी- 1.11.38 किलो गाँजा ।

पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ.नि. दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी कस्बा थाना चन्दौली
- 2.हे.का. सुनिल कुमार सिंह
- 3.हे.का. विजय कुमार

(आपरेशन कन्विक्शन)


◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 06 माह के साधारण कारावास की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना इलिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 27.11.2018 को धारा 332,353 भादवि व 3(1) द ध एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मुन्नू चौबे पुत्र किशोर चौबे 2. वजीर चौबे पुत्र किशोर चौबे निवासीगण मालदह थाना इलिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-68/18 धारा 332,353 भादवि व 3(1) द ध एससी/एसटी एक्ट थाना इलिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी), व थाना इलिया के पैरोकार आरक्षी प्रियांशु प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.मुन्नू चौबे पुत्र किशोर चौबे 2. वजीर चौबे पुत्र किशोर चौबे निवासीगण मालदह थाना इलिया जनपद चन्दौली को 06 माह के साधारण कारावास की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 13.08.2024 को धारा 132,115(2),324(4) बीएनएस के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रंजीत गोस्वामी उर्फ छोटू कुमार पुत्र सतेन्द्र गोस्वामी निवासी चेई चैन नावादा थाना सलैया जनपद औरंगाबाद बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 326/24 धारा 132,115(2),324(4) बीएनएस थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री मनीष कुमार (एसपीओ), व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.रंजीत गोस्वामी उर्फ छोटू कुमार पुत्र सतेन्द्र गोस्वामी निवासी चेई चैन नावादा थाना सलैया जनपद औरंगाबाद बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 25.01.19 को धारा 363,366,376,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.हेमराज भारती पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 39/19 धारा 363,366,376,506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री अवधेश नारायण सिंह (एसपीओ), व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 घनश्याम कुमार पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.हेमराज भारती पुत्र मुन्ना लाल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 2230 वाहनों का चालान करते हुए 34,96,000/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाईड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाईड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 2230 वाहनों का चालान करते हुए 34,96,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-928

2.नो पार्किंग- 473

3.तीन सवारी- 160

- 4.सीट बेल्ट- 10
- 5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-47
- 6.यातायात नियमों का उल्लंघन- 186
- 7.काली फिल्म- 01
- 8.वायु प्रदूषण- 07
- 9.गलत नंबर प्लेट- 95
- 10.मांगने पर फिटनेस न दिखा पाना- 07
- 11.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-37
- 12.मांगने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना- 126
- 13.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना-22
- 14.वाहन चलाने समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना- 06
- 15.मदिरा पीकर वाहन चलाना- 02
- 16.नो एंट्री का उल्लंघन करना- 18
- 17.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना- 04
- 18.मांगने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट न दिखा पाना- 01
- 19.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-73
- 20.ओवर स्पीड- 04
- 21.21. रिफ्लेक्टर टेप- 04
- 22.जातिसूचक नम्बर प्लेट- 03
- 23.सीज- 16

यातायात नियमों के उल्लंघन में दिनांक 10.10.2024 से 18.10.2024 तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरण:-

(1)संपूर्ण चालान:-2230

(2)संपूर्ण कारित राजस्व:-34,96,000/-रूपयों (चौतीस लाख छियानवें हजार)